



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270229
CG-DL-E-17022026-270229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 121]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 127(अ).— जबकि अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, मुख्य संचालन अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी की भर्ती की विधि, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम, 2025 के संबंध में कुछ प्रारूप नियम, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित, दिनांक 12 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए थे;

और जबकि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में केंद्र सरकार के विचारार्थ कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अब, अतएव, केंद्र सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (2) की धारा (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, मुख्य संचालन अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी की भर्ती की विधि, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;
- (ख) 'नियंत्रण प्राधिकारी' से प्रतिष्ठान की कार्यकारी परिषद अभिप्रेत है;
- (ग) "प्रतिष्ठान" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अभिप्रेत है;
- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और
- (ङ) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिया गया है।

3. आवेदन - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें, आदि - उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

6. नियुक्ति प्राधिकारी - प्रतिष्ठान की कार्यकारी परिषद पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगी।

7. बाह्य चिकित्सा उपचार - (1) अधिकारी स्वयं और परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होंगे।
स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 में इसे दिया गया है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी:

बशर्ते कि वर्ष के दौरान किसी वेतन वृद्धि या पदोन्नति का प्रभाव 1 जनवरी को निर्धारित सीमा पर नहीं पड़ेगा।

(3) चिकित्सा दावे के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी का पर्चा और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित उपचार और दवाओं की खरीद के मूल कैश मेमो या बिल लगे होने चाहिए।

(4) 1 जनवरी के बाद वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के लिए, वार्षिक हक्कदारी आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित होगी।

(5) बहिरंग उपचार केवल प्रतिष्ठान द्वारा विधिवत रूप से सूचीबद्ध अधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही प्राप्त किया जा सकेगा।

(6) गंभीर बीमारियों की स्थिति में, दवाओं और परीक्षणों, यदि कोई हो, की लागत की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या कवर किए गए अस्पतालों का पर्चा स्वीकार्य होगा।

(7) अत्यधिक लागत वाले उपचार के प्रयोजनार्थ, प्रतिपूर्ति, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार, अलग-अलग मामले के आधार पर प्रतिष्ठान के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट दरों पर स्वीकार्य होगी।

(8) आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी निकटतम अस्पताल में इलाज करा सकता है और व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी, यह चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल प्राधिकारियों के आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्वधीन है।

8. आंतरिक चिकित्सा उपचार- (1) आंतरिक चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी इस संबंध में प्रतिष्ठान द्वारा अधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा

सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू होती है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पताल में उपचार वही होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के अनुसार चिकित्सा प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए अनुमेय है।

(3) आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर ही उपचार लिया जा सकता है।

9. अनर्हता - कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से पृथक् कर सकती है।

10. आवेदनों पर कार्रवाई- मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत गठित जांच समिति, प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए उम्मीदवारों की पद और जीवनवृत्त की आवश्यकताओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगी।

11. चयन समिति- अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट मुख्य संचालन अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी के पदों पर भर्ती या चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति करने हेतु चयन समिति, पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (12) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

12. अवशिष्ट उपबंध- पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों को धारण करने वाले अधिकारी की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं है, वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

13. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

14. शिथिलन की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य संचालन अधिकारी	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	लागू नहीं	स्तर-15 (रु. 182200 - 224100)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने पर लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालीन अनुबंध या मुक्त बाजार के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति शामिल है।

यदि नियुक्ति प्रतिनियुक्ति या खुले बाजार के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति के द्वारा की जाती है, तो भर्ती के लिए मानदंड।
(11)
1. प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, - वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (1,44,200 - 2,18,200 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। (1) अनिवार्य योग्यताएँ: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि; और (ख) उपर्युक्त खंड (क) में विनिर्दिष्ट योग्यताएँ धारक, अनुसंधान प्रशासन, सरकारी कार्यक्रमों, नवाचार प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन या मिशन-संचालित पहलों से संबंधित भूमिकाओं में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव शामिल हो, अर्थात्:- (i) विज्ञान, प्रौद्योगिकी या सार्वजनिक सेवा में बड़े पैमाने के कार्यक्रमों का प्रबंधन, (ii) अनुसंधान, नवाचार या प्रौद्योगिकी-संचालित पहल का समर्थन, और (iii) अंतर-एजेंसी समन्वय या सहयोगी सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं को सुकर बनाना; (ग) सुदृढ़ संप्रेषण और समन्वय कौशल, सरकार, शिक्षा और उद्योग में विविध हितधारकों के साथ कार्य करने की क्षमता। (2) वांछनीय योग्यताएं: (घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि। टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. मुक्त बाजार के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति: उपरोक्त कॉलम के बिंदु 1 के अंतर्गत न आने वाले व्यक्तियों के लिए मुक्त बाजार के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति द्वारा भर्ती के मानदंड निम्नलिखित होंगे— (1) अनिवार्य अर्हतायें:

- (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि; और
- (ख) उपर्युक्त खंड (क) में विनिर्दिष्ट अर्हतायें प्राप्त करने के पश्चात्, अनुसंधान प्रशासन, सरकारी कार्यक्रम, नवाचार प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियाँ या मिशन-संचालित पहल, उद्योग या निजी क्षेत्र, विदेशी संस्थान या गैर-सरकारी संगठन में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में विशेष अनुभव शामिल हो अर्थात्:—
- (i) विज्ञान, प्रौद्योगिकी या सार्वजनिक सेवा में बड़े पैमाने के कार्यक्रमों का प्रबंधन,
- (ii) अनुसंधान, नवाचार या प्रौद्योगिकी-संचालित पहल का समर्थन, और
- (iii) अंतर-एजेंसी समन्वय या सहयोगी सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं को सुकर बनाना;
- (ग) सुदृढ़ संप्रेषण और समन्वय कौशल, सरकार, शिक्षा और उद्योग में विविध हितधारकों के साथ कार्य करने की क्षमता।
- (2) वांछनीय अर्हतायें:
- (घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (3) कार्यालय का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष का होगा, और समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (4) उद्योग, निजी क्षेत्र, विदेशी संस्थान या गैर-सरकारी संगठन से व्यक्ति, अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो अल्पकालिक सहित प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत नहीं आता, यदि मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे वेतन एवं भत्ते उस राशि के अनुसार प्राप्त होंगे, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 पर लागू होती है।
- (5) मुक्त बाजार के माध्यम से संविदात्मक नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के अनुसार अठावन (58) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

खोज-सह-चयन समिति और उसकी संरचना।	वे परिस्थितियाँ जब भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष, (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिष्ठान - सदस्य (अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान) - (3) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान से बाहर के तीन विशेषज्ञ, जो उस पद से कम से कम एक स्तर उच्च हों जिस पर भर्ती की जा रही है — सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'क', पद	स्तर-14 (रु. 1,44,200 - 2,18,200)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

(11)
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100 - 2,16,600 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (1,23,100 - 2,15,900 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और अनिवार्य अर्हतायें:- (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या वित्त में स्नातक की डिग्री; और (ग) उपरोक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अर्हतायें प्राप्त करने के पश्चात्, वित्त, लेखा एवं प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव, जिसमें वित्तीय कानून, कराधान, लेखांकन मानक और नियामक ढांचे का ज्ञान एवं अनुभव शामिल हो। वांछनीय अर्हतायें:- (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वित्त, लेखा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि; और टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य <i>बाह्य संवर्ग</i> पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष, (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिष्ठान - सदस्य (अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान) - (3) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के बाहर के तीन विशेषज्ञ, जो उस पद से कम से कम एक स्तर उच्च हों जिस पर भर्ती की जा रही है — सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. आरआर/एएनआरएफ/सीएफओ,सीओओएंडएओ/2025]

ए. धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science And Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2026

G.S.R. 127(E).— Whereas certain draft rules, namely, the Anusandhan National Research Foundation, Method of Recruitment, Salary and Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chief Operating Officer and Chief Financial Officer Rules, 2025 were published, as required by sub-section (1) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 12th September, 2025 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And Whereas, no objection or suggestion was received in respect of the said draft rules for the consideration of the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023) the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation, Method of Recruitment, Salary and Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chief Operating Officer and Chief Financial Officer Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);

(b) “Controlling authority” means the Executive Council of the Foundation;

(c) “Foundation” means the Anusandhan National Research Foundation established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(d) “Schedule” means Schedule appended to these rules, and

(e) words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Application.— These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of said posts, classification and level in pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Appointing authority.— The Executive Council of the Foundation shall be the appointing authority for the posts specified in column (1) of the aforesaid Schedule.

7. Outdoor medical treatment.— (1) The officers shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation. - For the purposes of this rule, the expression “family” shall have the meaning assigned to it in the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st day of January of the year (basic pay plus dearness allowance) whichever is less:

Provided that release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st day of January.

(3) The medical claim shall be supported by medical officer's prescription and the original cash memos or bills for treatment and purchase of medicines duly signed and authenticated with the signature and seal of the medical officer.

(4) For officers joining the duty during the year after the 1st day of January, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be availed only from the Authorised Medical Attendants duly empanelled by the Foundation.

(6) In case of chronic ailments, prescription from the hospitals recognised or covered under the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944 or the Central Government Health Scheme shall be admissible for the purposes of reimbursement of the cost of medicines and tests, if any.

(7) For the purposes of cost intensive treatment, the reimbursement shall be admissible at the rates specified in accordance with the provisions of the Central Government Health Scheme or the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 with the approval of the Foundation on a case to case basis.

(8) In case of emergency, the officer may avail treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates specified under the Central Government Health Scheme subject to production of emergency certificate from the medical officer or the hospital authorities.

8. Indoor medical treatment.- (1) For the purposes of indoor medical treatment, the officer shall be eligible to avail treatment in hospitals authorised by the Foundation in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government officers drawing equivalent salary in pay matrix.

(2) The treatment in authorised hospitals referred to in sub-rule (1) shall be the same as may be admissible to the Central Government officers availing the treatment in accordance with the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(3) The treatment at authorised hospitals referred to in sub-rule (1) shall be availed only on the advice of the Authorised Medical Attendant, except in emergency cases.

9. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Processing of applications. -A duly constituted Screening Committee by the Chief Executive Officer shall evaluate the applications received by the Foundation and may shortlist candidates based on the requirements of the post and curriculum vitae of the candidates for further processing.

11. Selection Committee.- The Selection Committee for making recommendations to the Appointing Authority for recruitment or selection to the posts of Chief Operating Officer and Chief Financial Officer specified in column (1) of the Schedule shall be as specified in column (12) of the aforesaid Schedule.

12. Residuary provision. - The conditions of service of the officer holding posts specified in column (1) of the aforesaid Schedule for which no express provision is specified in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of the Central Government drawing equivalent salary in pay matrix.

13. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

14. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Operating Officer.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-15 (Rs. 182200 - 224100).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation including short-term contract or Contractual Appointment through open market.

In case of recruitment by Deputation or Contractual Appointment through open market, criteria for recruitment.	
(11)	
1. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or public sector undertaking or recognised research institution or university or Semi Government or statutory or autonomous organisation, - with at least three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-14 in the pay matrix (Rs.144200 – 218200) or equivalent. (1) Essential qualifications: (a) possessing Master's degree in engineering, science, technology or allied disciplines from a recognised university or institution; and (b) possessing fifteen years experience after obtaining the qualifications referred to in clause (a) above, in roles involving research administration, Government programmes, innovation management, public sector operations or mission-driven initiatives with specific experience in one or more of the following fields, namely:- (i) managing large-scale programs in science, technology, or public service, (ii) supporting research, innovation, or technology-driven initiative, and (iii) facilitating inter-agency co-ordination or collaborative public-private projects; (c) strong communication and co-ordination skill, ability to work with diverse stakeholders across Government, academia and industry. (2) Desirable qualifications: (d) possessing Master's degree in Business Administration from a recognised university or institution. Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation including short-term contract shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application. 2. Contractual appointment through open market : The criteria for recruitment by contractual appointment through open market for the person not covered under point 1 of this column above shall be as following,- (1) Essential qualifications: (a) possessing Master's degree in engineering, science, technology or allied disciplines from a recognised university or institution; and (b) possessing fifteen years experience after obtaining the qualifications referred to in clause (a) above, in roles involving research administration, Government programmes, innovation management, public sector operations or mission-driven initiatives in industry or private sector or overseas institutions or Non-Government Organisation with specific experience in one or more of the following fields, namely:- (i) managing large-scale programmes in science, technology, or public service, (ii) supporting research, innovation, or technology-driven initiative, and (iii) facilitating inter-agency co-ordination or collaborative public-private projects; (c) strong communication and co-ordination skill, ability to work with diverse stakeholders across Government, academia and industry. (2) Desirable qualifications: (d) possessing Master's degree in Business Administration from a recognised university or institution. (3) The term of office shall be for a period of three years from the date of assumption of charge, and shall be eligible for reappointment on such terms and conditions which may be determined from time to time. (4) Person from industry or private sector or overseas institutions or Non-Government Organisation, or any other person not covered under deputation including short-term, appointed as Chief Operating Officer shall be drawing a salary and allowances of such amount, as may be applicable to level-15 of the pay matrix. (5) The maximum age-limit for appointment by contractual appointment through open market shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.	

Search-cum-Selection Committee and its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Search-cum-Selection Committee consisting of :- (1) Secretary to the Department of Science and Technology – Chairperson; (2) Chief Executive Officer of the Foundation (Anusandhan National Research Foundation) – Member; (3) Three Experts outside Anusandhan National Research Foundation who are at least one level above the post to which recruitment is being made – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chief Financial Officer.	1 * (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Group A post.	Level-14 (Rs. 144200 - 218200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation including short-term contract.

(11)
Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or public sector undertaking or recognised research institution or university or Semi Government or statutory or autonomous organisation, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-13A in the pay matrix (Rs.131100 -216600) or equivalent; or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.123100 – 215900) or equivalent; and Essential Qualifications:- (b) possessing Bachelor's degree in Commerce or Finance from a recognised university or institution; and (c) possessing twelve years experience, after obtaining the qualifications referred in clause (b) above, in finance, accounts and administration with knowledge and experience in financial laws, taxation, accounting standards and regulatory frameworks. Desirable Qualifications : (d) possessing Master's degree in Finance, Accounting, Public Financial Management or allied disciplines from a recognised university or institution; and Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Search-cum-Selection Committee consisting of :- (1) Secretary to the Department of Science and Technology – Chairperson; (2) Chief Executive Officer of the Foundation (Anusandhan National Research Foundation) – Member; (3) Three Experts outside Anusandhan National Research Foundation who are at least one level above the post to which recruitment is being made – Member.	Not applicable.

[F. No. RR/ANRF/CFO,COO&AO/2025]

A. DHANALAKSHMI, Jt. Secy.